

प्रश्न सं. [ क. 1118 ]

वि.स. प्रश्न क्र. 1118 (ताशक्ति) कानपीप विद्युत शक्ति क.प्र.लेखक परेल्  
संयुक्त में उच्च. 12.8.2021. प्रश्न सं. 1118

विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ दर आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुमोदन उपरान्त वर्ष 2021-22 के प्रदेश के विजली उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय की एक-एक श्रेणी की दर निम्न प्रकार है।

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत शुल्क (रूपये)	नियत प्रभार (रूपये)	
			शहरी	ग्रामीण
1.	घरेलू	0 से 30 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं	निरंक	निरंक
		30 से 50 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं	64 प्रति कनेक्शन	50 प्रति कनेक्शन
		51 से 150 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं	109 प्रति कनेक्शन	90 प्रति कनेक्शन
		151 से 300 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं	24 रूपये प्रति 01 किलोवाट भार	21 रूपये प्रति 01 किलोवाट भार
		300 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं	25 रूपये प्रति 01 किलोवाट भार	24 रूपये प्रति 01 किलोवाट भार
2.	गैर घरेलू	10 कि.वाट भार वाले उपभोक्ताओं हेतु	153 प्रति किलोवाट	122 प्रति किलोवाट
		10 कि.वाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं हेतु	275 प्रति किलोवाट एवं 220 के.व्ही.ए. औसत मांग पर	235 प्रति किलोवाट एवं 188 के.व्ही.ए. औसत मांग पर
		स्वीकृत भार के अनुसार दर (10 किलोवाट संयोजित भार वाले) उपभोक्ताओं जिनका मासिक खपत यूनिट 50 है	82 रूपये प्रति किलोवाट	67 रूपये प्रति किलोवाट
		स्वीकृत भार के अनुसार दर (10 कि.वाट संयोजित भार वाले) उपभोक्ताओं जिनका मासिक खपत यूनिट 50 से अधिक है	138 रूपये प्रति किलोवाट	117 प्रति किलोवाट
		मांग आधारित दर (संयोजित भार 10 कि.वाट तक)	296 प्रति किलोवाट एवं 237 रूपये प्रति क.व्ही.ए. मांग आधारित	214 प्रति किलोवाट एवं 171 प्रति क.व्ही.ए. मांग आधारित

3.	जल प्रदाय कार्य एवं पथ प्रकाश (निस्सदाव)	ऊर्जा प्रभार रूपये प्रति यूनिट	नियत प्रभार प्रतिमाह (रूपये प्रति किलोवाट)
	नगर निगम / नगर पंचायत / छावनी परिषद (शहरी क्षेत्र)	5.63	316
	ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	5.32	144
4.	औद्योगिक ( निस्सदाव)	शहरी क्षेत्र नियत प्रभार (रूपये)	ग्रामीण क्षेत्र नियत प्रभार (रूपये)
	भार आधारित दर (संयोजित भार 150 अ.श. / 112 कि.वाट तक)	320 प्रति किलोवाट एवं 256 प्रति के.व्ही.ए. मांग आधारित	205 प्रति किलोवाट एवं 164 प्रति के.व्ही.ए. मांग आधारित
			ऊर्जा प्रभार रूपये प्रति यूनिट (शहरी/ग्रामीण)
			6.60
5.	कृषि सिंचाई (निस्सदाव)	ऊर्जा प्रभार (रूपये प्रति यूनिट)	नियत प्रभार (रूपये प्रतिमाह / प्रति अश्व शक्ति)
	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	4.69	53.00
	300 यूनिट से अधिक किन्तु 750 यूनिट तक प्रतिमाह	5.72	64.00
	750 यूनिट से अधिक मासिक खपत पर	6.00	70.00
	अस्थायी संयोजन	6.00	70.00
	25 अश्व शक्ति तक (शहरी क्षेत्र)	5.30	105.00
	25 अश्व शक्ति तक (ग्रामीण क्षेत्र)	5.10	82.00
	मांग आधारित दर (150 अश्व शक्ति तक संविदा मांग पर संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं हेतु) (25 अश्व शक्ति तक भार हेतु) शहरी क्षेत्र हेतु	6.00	255 प्रति किलोवाट और 204 प्रति के.व्ही.ए. पर मांग आधारित
	मांग आधारित दर (150 अश्व शक्ति तक संविदा मांग पर संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं हेतु) 25 अश्व शक्ति तक भार हेतु) ग्रामीण क्षेत्र हेतु	6.00	133 प्रति किलोवाट पर 106 प्रति के.व्ही.ए. पर मांग आधारित
	कृषि कार्य के लिए सिंगल अथवा थ्री फेस पर विद्युत प्रदाय 10 अश्व शक्ति तक भार वाले कृषि उपभोक्ताओं हेतु फ्लैट रेट पर मन्सिडी के अलावा निर्धारित दर (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु)	06 माह हेतु अप्रैल से सितम्बर रु. प्रति अश्व शक्ति	06 माह हेतु अक्टूबर से मार्च रु. प्रति अश्व शक्ति
		375	375

उत्तरदाय	मासिक नियत प्रभार (रु. प्रति के.व्ही.ए. प्रतिमाह मांग के आधार पर)	50 प्रतिशत फेक्टर की स्थिति में ऊर्जा प्रभार (रु. प्रति यूनिट)	50 प्रतिशत से अधिक फेक्टर पाये जाने पर ऊर्जा प्रभार (रु. प्रति यूनिट)
(अ) औद्योगिक			
11 के.व्ही. सप्लाइ पर	3.47	7.10	6.10
33 के.व्ही. सप्लाइ पर	5.70	7.05	6.00
132 के.व्ही. सप्लाइ पर	6.60	6.62	5.65
220/400 के.व्ही. सप्लाइ पर	6.60	6.20	5.20
(ब) गैर औद्योगिक			
11 के.व्ही. सप्लाइ पर	3.27	7.45	6.55
33 के.व्ही. सप्लाइ पर	4.70	7.25	6.30
132 के.व्ही. सप्लाइ पर	5.60	6.80	5.70
(स) शॉपिंग मॉल			
11 के.व्ही. सप्लाइ पर	3.36	7.25	6.50
33 के.व्ही. सप्लाइ पर	3.88	7.15	6.10
132 के.व्ही. सप्लाइ पर	5.20	6.65	5.90
(द) पावर इंटेसिव इण्डस्ट्रीज			
11 के.व्ही. सप्लाइ पर	5.80	5.40	5.40
33 के.व्ही. सप्लाइ पर	7.10	5.17	5.17
132 के.व्ही. सप्लाइ पर	7.10	5.10	5.10

  
 अनुभाग अधिकारी  
 ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन  
 भोपाल